

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(37)परि/स्था/2008/4977

जयपुर, दिनांक:-10/03/2024

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 को संपन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (लेवल इन पे मैट्रिक- एल-11) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

पदोन्नति वर्ष 2023-24

क्र.स.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की तिथि
1.	श्रीमती सविता व्यास (चौधरी)	अनारक्षित	16.10.1980	01.04.2023
2.	श्री पवन कुमार	अनारक्षित	18.03.1974	01.04.2023
3.	श्री जगजीत सिंह	अनारक्षित	01.08.1970	01.04.2023
4.	श्री हेमन्त शर्मा	अनारक्षित	05.02.1979	13.07.2023
5.	श्री अश्विनी कुमार राजपुरोहित	अनारक्षित	28.03.1982	17.08.2023

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनम सिंह एवं श्रीमती चन्द्र कला मीणा की संतान एवं अचल संपत्ति की घोषणा प्राप्त नहीं है। अतः इनके पदोन्नति आदेश उक्त घोषणा प्राप्त होने के पश्चात् जारी किये जावे।

उक्त पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक अविलम्ब अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नवीन पद पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवायें। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

उक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी संख्या 29601/2018 में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।



(गोपाल सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.1(37)परि/स्था/2008/ 4977-4988

जयपुर, दिनांक:- 16/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
6. नोडल अधिकारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक श्री
9. संबंधित श्री/श्रीमती.....सूचना सहायक को राजकाज में आदिनांक करने हेतु।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

१

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)